



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30964

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5458/2026

बैजनाथ

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: उत्कर्ष सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: आज़ाद राय, सीएससी

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को इस आदेश से कोई आपत्ति होती है, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 - अपर आयुक्त, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज को यह निर्देश दिया जाए कि वे पुनरीक्षण संख्या 77/2024 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या सी202402000000077) का शीघ्रतापूर्वक निस्तारण करें।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय व्यतीत हो चुका है, तथापि इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 उपर्युक्त पुनरीक्षण का निस्तारण विधि के पूर्णतः अनुरूप, अत्यंत शीघ्रतापूर्वक और अधिमानतः छह माह की अवधि के भीतर करें; बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो और इस प्रक्रिया में अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

11 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”